न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 16/2022 बउनवानी प्रवीण कुमार बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी कोहराना, तहसील बेरोड जिला अलवर

GCMS No-2022/16 **On line Appeal No- 321052062698455**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
08.02.2022	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 5.2.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1- विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर बताया जावे कि राजस्थान राज्य से बहार की महिलाओं जिनका विवाह राजस्थान राज्य से बाहर की महिलाये जिनका विवाह राजस्थान राज्य मे हुआ एवं शिक्षक भर्ती,2018 मे अध्यापक लेवल 1 व 2 के पदो पर आरक्षित वर्ग (ओबीसी/एससी/एसटी) मे लाभ देकर नियुक्ति दी गयी है। ऐसी सभी विवाहित महिलाओ के नाम की प्रमाणित सूची मय राज्य के नाम सहित मुझे उपलब्ध करवायी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः आरटीआई/अपील/2022/219 दिनांक 8.2.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 5.2.2021 के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना का संबंध मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, सवाईमाधोपुर के कार्यालय से होने के कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र ऑन लाईन पोर्टल क्रमांक 1614461015 दिनांक 13.7.2021 को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर को अन्तरित कर दिया गया था। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना को संबंध अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय से नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 5.2.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना का संबंध मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, सवाईमाधोपुर के कार्यालय से होने के कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र ऑन लाईन पोर्टल पर दिनांक 13.7.2021 को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर को अन्तरित करना अपने जवाब में अंकित किया गया है। किन्तु उक्त अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी को अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र पांच दिवस के अन्दर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को अन्तरित किये जाने बजाय लगभग 5 माह बाद उक्त प्रार्थना पत्र अन्तरित किया गया है जो लोक सूचना अधिकारी की सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रति उद्यासीनता को दर्शाता है। चूंकि चाही गयी सूचना का संबंध अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर [illegible] अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है किन्तु न्यायहित में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि[illegible] सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को वांछित सूचनाऐं [illegible] जावे। साथ ही लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक[illegible]गंगापुर सिटी को [illegible] निर्देशित किया जाता है कि उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना [illegible] अधिनियम [illegible] समय सीमा मे निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] हो एवं बाद तकमील [illegible] अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:11:37 IST
Reason: SelfAttested